59

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर, शिविर भोपाल

प्र0कं0 : निगरानी...../15 राजगढ़

(1) **श्रीमति गोकुलबाई** पत्नि स्व0श्री दिनेश
(2) **सुनील** पुत्र स्व0श्री दिनेश
(3) **अनिल** पुत्र स्व0श्री दिनेश
(4) **बंशीलाल** पुत्र श्री रामलाल
निवासीगण ग्राम–टप्पा कुरावर, तह0–नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ (म0प्र0) ---- **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

(1) **गोविंद प्रसाद** पुत्र श्री बैजनाथ
(2) **श्रीमति मंजूदेवी** पत्नि श्री कैलाशराज,
(3) **दिनेश** पुत्र श्री पन्नालालए
(4) **शिवचरण** पुत्र श्री लालाजी
निवासीगण ग्राम–टप्पा कुरावर, तह0–नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़ (म0प्र0) ---- **प्रत्यर्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्र0कं0–183/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 जिसके द्वारा उन्होंने माननीय अ0वि0अ0 महोदय, नरसिंहगढ़ के प्र0कं0–35/अ–13/99–2000 में पारित आदेश दिनाँक 25.02.2000 एवं नायब तहसीलदार महोदय, कुरावर के प्र0कं0–7/अ–13/98–99 में पारित आदेश दिनाँक 31.05.1999 स्थिर रखा से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कं0–1 ने तहसील न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके स्वत्व की भूमि सर्वे नं0–398/5 में आने–जाने व कृषि कार्य

निरंतर...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3436–तीन/2015 जिला राजगढ़

गोकुलबाई आदि विरूद्ध गोविंद प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण कमांक 183/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन दिया था। तहसीलदार ने रास्ता खोलने का आदेश दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था। तहसीलदार न्यायालय द्वारा पूर्ववत ही आदेश पारित कर आवेदकगण की भूमियों के मध्य से रास्ता दिलाये जाने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनः आवेदकों द्वारा अपील की गई जो निरस्त हुई तब आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील	

की गई, वह भी निरस्त हो गई तब इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में विचार न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय में दो बार एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय में अपील के दौरान प्रकरण के गुण–दोषों पर विचार किया जा चुका है। तहसील न्यायालय के आदेश के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने तथ्यों की पूर्ण विवेचना कर विस्तृत आदेश पारित किये हैं। अपर आयुक्त सहित तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। [redacted] निगरानी याचिका में ऐसा कोई आधार बताया है जिससे निगरानी ग्राह्य की जा सके। अतः प्रथमदृष्टया निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य प्रकट नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य